कार्यालय जिला ई–गवर्नेंस सोसायटी, जिला मुरैना (म0प्र0)

क्रमांक / ई.गर्वे.सोसा. / 2015 / 11268 मुरैना, दिनांक 09 अक्टूबर 2015

/ / सार्वजनिक सूचना / /

म.प्र. शासन के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के आदेश क्रं. 5–6 / 2015 / 41–2 भोपाल दिनांक 16 सितम्बर 2015 के अनुसार जिले में पूर्व से संचालित समस्त एमपीऑनलाइन एव ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित नागरिक सुविधा केंद्रो (सी एस सी) का एमपी ऑनलाइन तथा जिला ई. गवर्नेंस सोसाईटी के मध्य सीधा त्रिपक्षीय अनुबंध किया जाना है । उक्त अनुबंध उपरांत समस्त कियोस्क एमपी ऑनलाइन कियोस्क कहलाएगें ।

उक्त हेतु 15 अक्टूबर 2015 तक समस्त कियोस्क संचालक एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीयन कराना सुनिश्चित करें। ऑन लाइन पंजीयन उपरांत कियोस्क संचालक और एमपी ऑनलाइन तथा जिला ई.गवर्नेंस सोसाईटी के मध्य त्रि–पक्षीय अनुबंध 01 माह के अंदर संपादित कराना सुनिश्चित करें, जिसमें निम्नांकित दस्तावेज लाना अनिवार्य है–

1. आवेदक द्वारा भरा गया कियोस्क आवेदन फार्म ।
2. कियोस्क का संस्था / दुकान पंजीयन (गुमाश्ता प्रमाण पत्र)।
3. आवेदक के दो पासपोर्ट साइज फोटो, आवेदक का पेन कार्ड घर एवं दुकान का पता संबंधी प्रमाण पत्र, आवेदक की मार्कशीट (कम से कम 10 वी कक्षा पास की मार्कशीट)
4. पहले से स्थापित कियोस्क एवं आवेदक की दुकान के बीच की दूरी का मान्यता प्राप्त इंजीनियर से प्रमाणित नजरी नक्शा (रोड़मेप), जिसमें इंजीनियर के सील एवं हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।
5. अनुबंध की 500 रूपये मूल्य वाले ई–स्टाम्प की प्रति।
6. दुकान / आफिस / इंटरनेट कैफे के अलग–अलग चार फोटो अक्षांश–देशांश सहित (दुकान के अंदर के दो फोटो जिसमें पूरा कम्प्यूटर सेटअप स्पष्ट दिखाई दे एवं दुकान से खींचे गये दो फोटो जिसमें आजू–बाजू का क्षेत्र आपकी दुकान भी दिखाई दे)

कलेक्टर
जिला मुरैना

पृ.क्रमांक / ई.गर्वे.सोसा. / 2015 / 11269 मुरैना, दिनांक 9 अक्टूबर 2015

1. सचिव, सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. जनसम्पर्क विभाग मुरैना की ओर निर्देशित कर लेख है कि उक्त सूचना को समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।
3. जिला सूचना एव विज्ञानिकीय अधिकारी की ओर लेख है कि उक्त सूचना को जिले की बेवसाइट पर अपलोड करें।
4. तहसील समस्त को सूचित कर लेख है कि उक्त सूचना को नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जावें।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत (समस्त) को आदेशित किया जाता है कि उक्त सूचना को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें।

कलेक्टर
जिला मुरैना